Received through mail Date: 27.02.25

ई–मेल

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

27 FEB 2025

पत्रांक :– बी1–03–17 / 2024 – 678 पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025.

प्रेषक
मुख्य सचिव,
बिहार।

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में निर्वाचन कार्य के लिये उपयोग में लाये जाने वाले भवनों की मरम्मति, मूलभूत सुविधायें तथा भवन तक पहुँच मार्ग (Approach Road) एवं ई०वी०एम० / वीवीपैट के परिवहन / आवागमन के दृष्टिगत पथों की मरम्मति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विगत लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के प्रेस नोट के उपरांत कई जिलों द्वारा मतदान केन्द्रों, ई0वी0एम0 वेयरहाउस, सुरक्षा बलों के आवासन स्थल, Dispatch/Receipt/ Center/Counting halls आदि के भवनों अथवा पहुँच मार्ग के मरम्मति हेतु निविदा प्रकाशन / कार्य प्रारंभ करने आदि की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया था, परंतु आदर्श आचार संहिता लागू रहने के कारण उक्त कार्यों हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति नहीं दी गयी थी।

विदित हो कि निर्वाचन मद से स्थायी संरचना (permanent asset) हेतु राशि आवंटित नहीं की जा सकती है। मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल, शौचालय आदि की जिलों द्वारा अस्थायी व्यवस्था की जाती है, जिसपर अधिक व्यय होता है। उदाहरण स्वरूप सुरक्षा बलों के आवासन स्थल (जो स्कूल, कॉलेज इत्यादि में स्थापित किया जाता है) के लिये लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा पेयजल हेतु चापाकल लगाने में लगभग ₹13,000 /– तथा कार्य समाप्ति उपरांत चापाकल को हटाने में श्रम लागत के रूप में लगभग ₹1000 से ₹1200 /– का व्यय निर्धारित किया जाता है, जबकि स्कूल कॉलेज आदि में स्थायी रूप से पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि विधान सभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित व्यय राज्य सरकार द्वारा पूर्णरूपेण वहन किया जाता है।

मतदान क्रम में यह आवश्यक है कि मतदान में उपयोग किये जाने वाले भवनों यथा – मतदान केन्द्र, ई0वी0एम0 वेयरहाउस, सुरक्षा बलों के आवासन स्थल, Dispatch/Receipt/Counting Center आदि, वहाँ उपलब्ध मूलभूत सुविधाएँ यथा – बिजली, पेयजल, शौचालय, रैम्प आदि तथा उसके पहुँच मार्गों के भौतिक स्थिति की समीक्षा की जाये एवं यह सुनिश्चित किया जाये कि मतदान के अवसर पर उपर्युक्त सुविधायें पूर्व से ही अच्छी स्थिति में उपलब्ध हो।

अतः अनुरोध है कि आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु अपने विभाग के अंतर्गत उपर्युक्त कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाये। संगत अनुमान्य मदों के अंतर्गत उक्त कार्य सम्पन्न कराये जाय। ये कार्य 31 मई 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिये जाय।

विश्वासभाजन

24/2/25

(अमृत लाल मीणा)
मुख्य सचिव।

अपर सचिव
जल संसाधन विभाग
666
27/02/25

"मजबूत लोकतंत्र–सबकी भागीदारी"

(P.T.O)

ज्ञापांक — बी1—03—17/2024 — 678 पटना, दिनांक 25 फरवरी, 2025 ई०।

प्रतिलिपि :— सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी—सह—जिला पदाधिकारी, बिहार राज्य को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/25

(अमृत लाल मीणा)
मुख्य सचिव।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः—02/स्था0—17—20/2024— 1037 पटना, दिनांक— 07.3.2025

प्रतिलिपिः— सभी मुख्य अभियंता/सभी निदेशक, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कार्यपालक अभियंता IT Centre जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित कार्यालय को ई—मेल करने हेतु प्रेषित।

7.3.2025

(कृष्ण गोपाल)
सरकार के अवर सचिव

5.3.25

"मजबूत लोकतंत्र—सबकी भागीदारी"